नेशनल/स्थायी लोक अदालत जिला जबलपुर खंडपीठ क.10

(पीठासीन अधिकारी– संजय कुमार जैन)

(सदस्य दशम् मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, जबलपुर)

Registration No.	**MACC5758/2022**
Filing No.	**19206/2022**
CNR No.	**MP20010422702022**
Date of Institution	**25-11-2022**

हरिराम जंघेला वि0 रविकुमार पटेल व अन्य

:::अधिनिर्णय:::

(आज दि. 09.12.2023 को राजीनामा के आधार पर पारित)

आज दिनांक 09.12.2023 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में इस खंडपीठ के समक्ष आवेदक **हरिराम जंघेला पिता श्री चेतराम जंघेला उम्र–34 वर्ष निवासी–गौतमजी की मढिया संजिवनी नगर, जिला जबलपुर** व अनावेदक बीमा कंपनी **टाटा ए.आई.जी. इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड** के अधिवक्तागण ने उपस्थित होकर इस आशय का राजीनामा आवेदन पेश किया कि उनके मध्य **2,00,000/– रूपए** (शब्दों में **दो लाख रूपये)** में राजीनामा हुआ है। यह राजीनामा पक्षकारों के हित एवं विधि के अनुरूप है। उभयपक्ष द्वारा स्वस्थ मानसिक दशा में स्वतंत्र सहमति से राजीनामा किया जाना व्यक्त किया गया है। अतः विचारोपरांत राजीनामा आवेदन स्वीकार कर निम्नानुसार अधिनिर्णय पारित किया जाता है :–

1. अनावेदक बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति के रूप में **2,00,000/– रूपए** (शब्दों में **दो लाख रूपये) दो माह के भीतर** दशम् मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा हाईकोर्ट जबलपुर के बचत खाता क्रमांक **519302010185062 आईएफएससी कोड UBIN0551937** में **RTGS/NEFT** के माध्यम से जमा कर न्यायालय को सूचित करें।
2. दो माह की अवधि में राशि जमा किये जाने में व्यतिक्रम किये जाने पर बीमा कंपनी अधिनिर्णीत राशि पर 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करेगी।
3. आवेदक के लिये यह अनिवार्य होगा कि अधिनिर्णीत राशि के भुगतान के पूर्व अधिकरण के समक्ष पासबुक की फोटोप्रति एवं आधार कार्ड प्रस्तुत किये जाने की दशा में ही आवेदक के बचत खाते में **RTGS/NEFT** अंतरित किये जाने के लिए नगद भुगतान आदेश जारी किया जावेगा।
4. उभयपक्ष अपना–अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।
5. अधिनिर्णय डिजीटल हस्ताक्षर कर नियमानुसार सी.आई.एस. में अपलोड किया जावे।

SANJAY KUMAR JAIN

Digitally signed by SANJAY KUMAR JAIN
Date: 2023.12.09 17:40:52 +0530

सदस्य **पीठासीन अधिकारी**